

डिक्री बमुकदमें ईबत्तादाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:- 209/2025

1. भूपेन्द्र सिंह पुत्र बद्रीनारायण
2. विजय सिंह पुत्र बद्रीनारायण
3. विक्रम जाखड पुत्र भूपेन्द्र सिंह
4. शान्ति देवी पत्नी बद्रीनारायण

जाति जाट निवासी 12 एम.जे.डी. पिलानियावाली  
ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

- वादीगण

बनाम

बद्रीनारायण पुत्र मस्तानाराम जाति जाट निवासी 12 एम.जे.डी. पिलानियावाली ढाणी तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

सन्तोष पुत्री बद्रीनारायण जाति जाट निवासी 12 एम.जे.डी. पिलानियावाली ढाणी तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़ (राज.)

3. सुनीता पुत्री बद्रीनारायण जाति जाट निवासी 12 एम.जे.डी. पिलानियावाली ढाणी तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पुरानी धान मण्डी संगरिया
5. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई  
रुबरु हमारे बहाजरी श्री बलवीर सिहाग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री सुभाष परिहार वकील  
प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है  
कि तहसीलदार राजस्व संगरिया को निर्देश दिये जाते है कि वादी संख्या 4 के पक्ष में छोड़े गए  
हिस्सा के संबंध में नियमानुसार पंजीयन शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रतिवादी सं. 1 के नाम  
चक 12 एमजेडी के खाता संख्या 56/39 ज.स. 2070-2073 में यानि 4.554 हैक्ट. दर्ज कृषि भूमि मे  
से वादी संख्या 1 को 0.632 है. व वादी संख्या 2 को 0.633 है. एव वादी संख्या 3 को 1.518 है. तथा  
वादी संख्या 4 को 1.518 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का  
उक्तानुसार हिस्सा कम किया जावे।

नोट:- यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही अमल दरामद किया  
जावे।

निज.  नल.  मुब्लिक.  निल.  बाबत्.  निल.  खर्चा मुकदमें के मय शुद वा  
शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.  अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक. 20/4/2026 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया